अनुमंडल कार्यालय राजकीय जनजातीय हिजला मेला समिति, दुमका

दिनांक–30.01.18 को अनुमंडल पदाधिकारी–सह–सचिव, राजकीय जनजातीय हिजला मेला समिति, दुमका की अध्यक्षता में सम्पन्न राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव वर्ष 2018 के लिये **जमीन बन्दोवस्ती उप समिति** के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी में अंकित।

आज दिनांक–30.01.18 को राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव वर्ष 2018 के अवसर पर मेला परिसर में दुकान, स्टॉल, झूला इत्यादि लगाने के लिये जमीन बन्दोवस्ती के संबंध में उपस्थित सभी सदस्यों के बीच विचारोपरांत सर्वसम्मति से गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभागीय स्तर पर बन्दोवस्ती किये जाने का निर्णय लिया गया।

पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुस्तक मेला लगाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होने पर पुस्तक मेला लगाने का निर्णय लिया गया।

उपस्थित उप समिति के सदस्यों द्वारा इस वर्ष उप समिति द्वारा निर्मित स्टॉल उपलब्ध कराने पर दुकानदारों से पूरा मेला अवधि के लिए प्रति स्टॉल 5000/–रू0 एवं सफाई के लिए 40/–रू0 कुल 5040/–(पाँच हजार चालीस) रू0 वसूली किये जाने एवं दुकानदारों, स्टॉलवालों से स्वयं के द्वारा निर्मित स्टॉल/दुकान के लिए 15/–(पन्द्रह) रूपये प्रतिवर्ग फीट के दर से वसूली किये जाने एवं चाट/चॉवमिन वालों से 25/–(पचीस) रूपये प्रतिदिन एवं बदाम एवं अन्य खोमचा, ठेलावालों से 15/–(पन्द्रह) रूपये प्रतिदिन वसूली करने का तथा सभी दुकानदारों से सफाई शुल्क के रूप में प्रतिदिन 5/–रू0 कूपन के माध्यम से प्रतिदिन वसूली किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी–सह–सचिव, राजकीय जनजातीय हिजला मेला समिति, दुमका द्वारा सहमति दी गई। साथ ही गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी झूलेवाले से एकमुस्त 50,000/–(पचास हजार) रूपये जमीन का रेंट लिया जाय जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी–सह–सचिव, राजकीय जनजातीय हिजला मेला समिति, दुमका द्वारा झूले लगाने के संबंध में कहा गया कि कहीं से आवेदन नहीं मिलने पर अगली बैठक में उचित निर्णय लिया जायेगा। गत वर्ष की तरह दुकानदारों, स्टॉलवालों से जमीन आवंटन के समय ही जमीन के कुल शुल्क की आधी राशि जमा लिया जायेगा तथा शेष राशि मेला के तीसरे दिन जमा लिया जायेगा एवं बड़ी संख्या खाली रह जाने की जानकारी बैठक में दी गई है। ऐसी परिस्थिति में निर्णय लिया गया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्धारित दर पर जमीन का आवंटन किया जायेगा। कार्यालय में अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर शेष दुकानों हेतु लौटरी के आधार पर आवंटित किया जायेगा।

पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्राम पंचायत सरूवा के इच्छुक जनजातीय व्यक्तियों को 25 (पचीस) दुकान मुखिया के अनुशंसा पर दिया जायेगा। अनुशंसित दुकानों से 10 (दस) रूपये प्रति वर्गफिट की दर से जमीन का शुल्क लिया जायेगा।

अंचल अधिकारी, दुमका अपने स्तर से अंचल निरीक्षक के देखरेख में राजस्व कर्मचारियों को जमीन बन्दोवस्ती तथा वसूली कार्य में लगायेंगे। अंचल अधिकारी, दुमका बीच–बीच में इसकी समीक्षा करेंगे। खेलकूद मैदान तथा मेला रास्ता को छोड़कर ही जमीन बन्दोवस्ती किया जायेगा। दुकानदार अपने बन्दोवस्ती जमीन के ही अन्दर अपना दुकान लगायेंगे। मेला समाप्ति के पश्चात् वसूली की गई सफाई शुल्क की राशि सरूवा पंचायत के मुखिया को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। सभी दकानदारों को दुकान के सामने डस्टबीन लगाना अनिवार्य होगा, डस्टबीन नहीं रखने तथा दुकान के समक्ष गंदगी पाये जाने पर उनको पहली बार जुर्मना राशि 100/–रू0 एवं पुनर्रावृत्ति की स्थिति में 500/रु0 जुर्मना देना होगा।

सभी दुकानदार, स्टॉलवाले अपने–अपने मेला परिसर में अपने दुकान/स्टॉल के सामने शुल्क तालिका प्रदर्शित करेंगे।

गत वर्ष की तरह दुकानदार, स्टॉल, ठेलावाले मेला समिति की जेनरेटर से प्रकाश व्यवस्था के अलावे विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेगें तो उसकी वसूली विद्युत विभाग द्वारा की जायेगी। जेनरेटर से लाईन

लेने पर दुकानदार, ठेला, स्टॉल वाले से प्रतिदिन प्रति C.F.L./LED Bulb 30 रूपया की दर से वसूली की जायेगी। सामान्य लट्टु बल्ब लगाने की अनुमति नहीं होगी।

उपस्थित उप समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि मुख्य द्वार के दांयी ओर सरूवा पंचायत के जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए स्टॉल दिया जायेगा। साथ ही सदस्यों द्वारा इस वर्ष 2018 में सरूवा पंचायत, मुखिया द्वारा चयनित 20 पुरूष ग्रामीण स्वयं सेवक एवं 10 महिला ग्रामीण स्वयं सेविका कुल 30 स्वयं सेवक रहेंगे एवं महिला स्वयं सेविकाएँ दिन में ही मेला परिसर में कार्यरत रहेंगे। स्वयं सेवकों का चयन मुखिया सरूवा पंचायत, स्थानीय प्रधान के सहयोग से थाना प्रभारी, मुफ0 उनका चरित्र सत्यापन करते हुए करेंगे। थाना प्रभारी यदि आवश्यकता हो तो स्वयं सेवकों की संख्या में 5 तक ही वृद्धि कर सकते है। मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य को निदेश दिया गया कि स्वयं सेवकों के सूची उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे की मेला परिसर में कोई भी स्वयं सेवक शराब पी कर कार्य नहीं करेंगे। पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी स्वयं सेवकों एवं जनप्रतिनिधियों, सरूवा पंचायत को बैंच उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। सभी स्वयं सेवको को पोषाक के अतिरिक्त चाय नाश्ता के लिए प्रतिदिन 150/–(एक पचास सौ) रूपये देने का निर्णय सर्वसम्मति लिया गया तथा प्रशासनिक शिविर से सटे पुलिस शिविर निर्माण करने का निर्णय लिया गया। सभी चयनित स्वयं सेवक प्रतिदिन मेला परिसर स्थित पुलिस पिकेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा उनके दिशा–निर्देश पर कार्य करेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

अनुमंडल पदाधिकारी
–सह–
सचिव
हिजला मेला समिति, दुमका।

ज्ञापांक 139 /अनु0सा0, दुमका दिनांक 1/2/18
प्रतिलिपि :–उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, हिजला मेला समिति, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–सभी संबंधित सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी
–सह–
सचिव
हिजला मेला समिति, दुमका।